

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/च.श्रे.क./2019/1051 दिनांक : 06/11/2019

जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2019

- राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) [Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालत सहितों) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रूपये 12,400/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाइन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोटः—

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017, विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcjraj.nic.in>, समस्त जिला न्यायालयों की वेबसाईट्स एवं ई-गिरि के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
- (2) आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुसंगत नियमों के तहत अधिकथित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। पात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता की उपधारणा करने का हकदार नहीं बनायेगा। भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, जिनका पद के लिए चयन किया गया है, किसी भी स्तर पर खारिज कर सकता है, यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाये जाते हैं।

2. रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation) :-

जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिला-न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :-

A. जिला न्यायालयों हेतु :-


- i. गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :— संलग्नक — 1
- ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :— संलग्नक — 2

B. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु :-

- i. गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :— संलग्नक — 3
- ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :— संलग्नक — 4

नोटः—

- i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।


06.11.19

- ii. यदि भर्ती प्राधिकारी को उपर्युक्त विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी से, विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाती है तो वह ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपर्युक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

3. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में :-

- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।
- जिला बांसवाड़ा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।
- इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।
- "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –
 - 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है,
 - यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या
 - उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी लैं

4. विभिन्न वर्गी (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

i. महिलाओं (Women) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न-विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Compartmentalized Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

ii. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

- दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

- (अ) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं, जिन्होने –

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या
- इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या
- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो; या
- इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

*Jm l
06.11.19*

(ब) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

iv. **भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के आरक्षण के संन्दर्भ में:-**

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।


महत्वपूर्ण नोट (Important Notes):-

- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय प्रमाण—पत्र (**Income Certificate**) प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर नियमानुसार जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर के आधार पर जारी जाति एवं आय प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार (**Institute - wise**), निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जायेगी :

प्रथम वरीयता:- जिला न्यायालय।

द्वितीय वरीयता:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समिति व स्थाई लोक अदालत सहित)

- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- गैर—अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी। जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर—अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर—अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।


०६.११.१९ -

- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है।

5. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):—

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सैकण्डरी; और
- देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

6. शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness) :—

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुकस नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की समावना हो। आवेदक के चयन होने की रिति में उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. राष्ट्रीयता (Nationality):— सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :—

- भारत का नागरिक हो, या
 - नेपाल का नागरिक हो, या
 - भूटान का प्रजाजन हो :
- परन्तु— प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र दिया गया है।

8. आयु (Age):—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन (1 जनवरी, 2020) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु :—

- उपर्युक्त उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा को,—
 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।
 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों और अन्य महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।
- उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;
- कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कैडेट अनुदेशक के रूप में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- विधवाओं और विछिन्न विवाह—महिलाओं (परित्यक्ता) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;
- दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, उसी प्रकार अनुज्ञेय होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर राज्य में लागू हो;
- निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;
- रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।

नोट :— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सूचना क्रमांक –रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2019/254 दिनांक 22.02.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था व उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी अतः ऐसे पुराने आवेदक एतस्मिनपूर्व किसी भी बात के होते हुए

706.11.19 -

वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र (eligible) समझे गये हैं।

9. **चरित्र (Character):—** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अहिंत करे। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धित न हों।

10. परीक्षा शुल्क (Examination Fee):—

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:—

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ अन्य राज्य के आवेदक	अनुसूचित जाति/ जनजाति/ विधवा अथवा परित्यक्ता/ दिव्यांगजन
रुपये 150/-	रुपये 100/-

नोट :—(i) जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती—2017, हेतु जारी विज्ञाप्ति संख्या 64 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में आवेदन किया था व निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था, ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

(ii) यदि कोई आवेदक, जिसने पूर्व भर्ती, 2017 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, वह उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक की Application ID के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदन करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी और वह आपराधिक अभियोजन हेतु भी दायी होगा।

11. परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee):—

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

12. नियुक्ति के लिए निरहिताएँ (Disqualifications for Appointment):—

- कोई पुरुष/ महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगा/ होगी।
 - कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
 - कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।
- स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।
- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है:

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा:

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चक्तता से ग्रस्त हो:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

13. परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम एवं चयन की रीति (Scheme, Syllabus of Examination and Mode of Selection):—

- कार्यालय चपरासी/समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित हैं, जो कि क्रमशः 85 और 15 अंक के होंगे।
- सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे की अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिक मानक (Matriculation Standard) के वर्तुनिष्ठ प्रकार—बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न को शामिल करते हुए होंगे—
 - सामान्य हिन्दी,
 - सामान्य अंग्रेजी,

[Signature]
66.11.19 -

- (ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां।
- (3) लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां हेतु क्रमशः 40, 25 एवं 20 प्रश्न हो सकेंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- (4) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
- (5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के पांच गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु योग्य घोषित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:-** लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- (6) साक्षात्कार, उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकित करने के उद्देश्य से होगा।
- (7) चयन के लिए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

स्पष्टीकरण:-

- (i) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- (ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने के साथ-साथ, साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(8) अर्हक अंक (Qualifying Marks) :-

- (i) साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 34 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 38 अंक प्राप्त करने होंगे।
- (ii) चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल 40 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल 45 अंक प्राप्त करने होंगे।

(9) लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus of Written Test):-

General Hindi :

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन।

General English :

Tenses, Articles, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Modals (Command, Request, Permission, Probability, Obligation), Synonyms, Antonyms, One word, Gender, Adjective, Verb, Editing & Omission, Arrangement of sentence, Complex & compound sentences, Vocabulary.

Rajasthani Culture and Dialects:

राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी – देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य।


14. ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)— ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को समय समय पर देखते रहें।

15. आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit for Apply) :-

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने की समय सीमा दिनांक 18.11.2019 (सोमवार) को दोपहर 01:00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 17.12.2019 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अन्तिम दिनांक 17.12.2019 तक जमा की जा सकेगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।

16. आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):-

- कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।


06.11.19

नोट:—राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुरक्षित नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समर्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में आवश्यक समर्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाइन आवेदन—पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समर्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने एवं Application Number प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
5. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना—पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

17. लिखित परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Written Test):—

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपर्युक्त एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। आवेदक जिला मुख्यालयों में से किन्हीं तीन जिला मुख्यालयों का परीक्षा केन्द्र के रूप में प्राथमिकतानुसार चयन करेगा। किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में एक बार चयन कर लिए गए स्थान में, आवेदक की प्रार्थना पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदक ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा केन्द्र के रूप में जिला मुख्यालयों का नाम चयन करने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लें। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

18. अनापति प्रमाण—पत्र (No Objection Certificate):—


राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हों, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को अनापति प्रमाण—पत्र नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

19. प्रवेश—पत्र (Admission Card) :—

प्रवेश—पत्र के लिए अभ्यर्थी को SSO पोर्टल पर स्वयं की SSO ID एवं Password का उपयोग करते हुए लॉग इन करना होगा और फिर रिकूटमेन्ट पोर्टल के डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक Get Admit Card पर क्लिक कर प्रवेश—पत्र डाउनलोड करना होगा। डाक से कोई प्रवेश—पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश—पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट www.hcjraj.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

20. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं (Other Important Instructions):—

- (1) लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न—पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट <http://www.hcjraj.nic.in> पर प्रकाशित कर दी जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय को विहित समयावधि में भिजवाई जा सकेंगी। विहित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।
- (2) “राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006”, के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकती है।
- (3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्य और कृत्यों का स्वरूप ऐसा होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं। आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों एवं कर्तव्यों की समय—समय पर पालना करने वालत् अंडरटेकिंग (ऑनलाइन आवेदन फार्म में उल्लेखित अनुसार) निष्पादित करनी होगी।
- (4) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज़/प्रमाण—पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।


106.11.19


- (5) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) लिखित परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट <http://www.hcraj.nic.in> पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।
- (8) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुच्छेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।
- (9) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (10) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- (11) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता (तलाकशुदा)/उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (12) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम** :— परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
- (13) **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग** :— कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाइंडक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवरित किया जायेगा।
- (14) **संयाचना** :— नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

हैल्प लाईन (Help Line) :-

1. आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु 0294-3057541.
2. परीक्षा शुल्क जमा कराने में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु 0141-2221424 एवं 2221425
3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल द्वारा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी हेतु 0291-2541042 एवं 2541388


हैल्प लाईन (Help Line) नम्बर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) ही उपलब्ध रहेंगे।

उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जावे। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई-मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।


06.11.19 -
रजिस्ट्रार (परीक्षा)


गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार)																																						
S.NO.	UNRESERVED				EWS				SC				ST				OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total							
	GE N.	GEN . (F)	WI DO W	DIV ORC EE	Total Gen	EWS (M)	EWS (F)	WID OW	DIVO RCEE	Total EWS	SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE	Total SC	ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE	Total ST	OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total OBC	MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total MBC	PD	B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP
अजमेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 217)																																						
1	64	18	7	2	91	19	6	2	0	27	16	5	2	0	23	24	7	3	1	35	20	5	2	1	28	9	3	1	0	13	2	2	2	1	1	32	4	44
अलवर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 162)																																						
2	43	13	4	2	62	11	3	2	0	16	20	6	1	1	28	10	3	1	0	14	24	7	2	1	34	5	2	1	0	8	2	2	1	1	0	24	3	33
बालोतरा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 114)																																						
3	37	10	4	1	52	8	2	1	0	11	12	3	1	0	16	10	2	1	0	13	12	4	1	0	17	4	1	0	0	5	1	1	1	1	0	0	0	4
बारां न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 78)																																						
4	24	7	2	0	33	7	3	0	0	10	10	3	0	0	13	6	2	0	0	8	7	2	0	0	9	4	1	0	0	5	1	0	0	0	8	0	9	
भरतपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 146)																																						
5	36	11	4	1	52	10	3	2	0	15	16	5	2	0	23	13	3	2	0	18	22	6	2	1	31	5	1	1	0	7	1	1	1	1	22	3	30	
भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 149)																																						
6	40	11	5	1	57	10	3	1	0	14	16	5	2	0	23	12	3	2	0	17	22	6	2	1	31	5	1	1	0	7	1	1	2	0	1	0	0	5
बीकानेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 85)																																						
7	26	7	2	1	36	7	1	0	0	8	9	2	1	0	12	9	2	1	0	12	10	2	1	0	13	4	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	3	

S.NO.	UNRESERVED				EWS				Total EWS	SC				ST				Total ST	OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total					
	GE N.	GEN . (F)	WI DO W	DIV ORC EE	Total Gen	EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE	SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE	Total SC	ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE	OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total OBC	MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total MBC	PD	B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP		
	वूंदी न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 61)																																					
8	14	4	2	0	20	4	2	0	0	6	7	2	1	0	10	6	2	0	0	8	8	4	1	0	13	3	1	0	0	4	0	0	2	0	0	12	1	15
	चितौङगढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 170)																																					
9	38	11	4	1	54	15	5	1	0	21	18	5	2	1	26	15	5	2	0	22	26	7	3	1	37	7	2	1	0	10	2	2	1	1	1	0	0	7
	चूरू न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 86)																																					
10	23	6	3	1	33	7	2	0	0	9	9	3	1	0	13	8	2	1	0	11	11	4	1	0	16	3	1	0	0	4	1	1	1	0	0	12	0	15
	दौसा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 66)																																					
11	19	6	2	0	27	4	1	0	0	5	8	3	1	0	12	3	2	0	0	5	10	3	1	0	14	2	1	0	0	3	1	1	1	0	0	10	1	14
	धौलपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 72)																																					
12	26	2	0	0	28	4	2	2	0	8	2	4	3	0	9	4	1	2	1	8	11	4	0	0	15	2	2	0	0	4	1	1	0	0	0	12	1	15
	हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 101)																																					
13	32	9	4	1	46	4	1	1	0	6	11	3	2	0	16	9	3	1	0	13	13	4	2	0	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 82)																																					
14	21	6	2	1	30	6	1	1	0	8	9	3	1	0	13	7	2	1	0	10	12	3	2	0	17	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1		
	जयपुर जिला न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 110)																																					
15	29	8	3	1	41	8	2	1	0	11	12	4	1	0	17	10	2	1	0	13	17	4	1	1	23	4	1	0	0	5	1	1	1	1	0	0	4	




6.11.19 -

S.NO.	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total		
	GE N.	GEN . (F)	WI DO W	DIV ORC EE		EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WIDO W	DIVO RCEE		ST (M)	OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total MBC	PD	B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP
जैसलमेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 49)																																						
16	14	5	1	0	20	4	1	0	0	5	7	2	0	0	9	3	1	0	0	4	7	2	0	0	9	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1		
जालोर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 68)																																						
17	18	5	2	0	25	6	2	1	0	9	8	2	1	0	11	4	1	0	0	5	10	3	1	0	14	3	1	0	0	4	0	0	2	0	0	7	1	10
झालावाड़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 90)																																						
18	28	8	3	1	40	7	2	0	0	9	10	2	1	0	13	6	2	0	0	8	12	3	1	0	16	3	1	0	0	4	1	1	1	0	0	3		
झुंझुनू न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 65)																																						
19	25	5	2	0	32	7	2	1	0	10	6	2	0	0	8	5	2	0	0	7	2	1	0	0	3	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 52)																																						
20	17	6	1	0	24	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	15	5	1	0	21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2		
जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 52)																																						
21	23	6	0	0	29	2	1	0	0	3	8	2	0	0	10	7	2	0	0	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
करौली न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 56)																																						
22	12	3	2	1	18	5	1	0	0	6	8	2	1	0	11	5	2	0	0	7	8	2	1	0	11	2	1	0	0	3	0	1	1	0	0	8	1	11
कोटा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 141)																																						
23	38	10	4	1	53	11	2	1	0	14	17	4	1	0	22	12	3	1	0	16	22	5	2	0	29	6	1	0	0	7	2	1	2	1	0	21	2	29



6.11.19

S.NO.	UNRESERVED				EWS				Total EWS	SC				ST				Total ST	OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total					
	GE N.	GEN . (F)	WI DO W	DIV ORC EE	Total Gen	EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE	SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE	Total SC	ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE	OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total OBC	MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total MBC	PD	B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP		
	मेडता न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 93)																																					
24	31	8	3	1	43	10	3	1	0	14	12	3	1	0	16	10	2	1	0	13	0	0	0	0	0	5	2	0	0	7	1	1	0	1	13	2	19	
पाली न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 25)																																						
25	33	14	3	1	51	7	2	1	0	10	12	4	1	0	17	12	3	1	0	16	5	2	0	0	7	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	2	2	
राजसमंद न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 82)																																						
26	19	10	7	2	38	2	1	0	0	3	7	3	2	0	12	7	2	0	0	9	12	4	1	0	17	3	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	
सवाईमाधोपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 65)																																						
27	19	6	2	0	27	6	2	0	0	8	7	2	0	0	9	4	1	0	0	5	9	2	1	0	12	3	1	0	0	4	1	1	1	1	0	0	4	
सीकर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 94)																																						
28	24	10	0	0	34	6	3	0	0	9	11	4	0	0	15	8	3	0	0	11	13	7	0	0	20	3	2	0	0	5	1	2	1	0	0	4		
सिरोही न्यायक्षेत्र (आबूरोड ब्लॉक के अलावा) (कुल रिक्तियाँ 56)																																						
29	14	4	2	0	20	4	1	0	0	5	6	2	1	0	9	5	1	1	0	7	8	2	1	1	12	2	1	0	0	3	2	0	0	0	8	0	10	
श्री गंगानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 163)																																						
30	43	13	4	1	61	12	3	1	0	16	18	6	1	0	25	14	4	1	0	19	24	7	2	1	34	6	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0		
टोंक न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 71)																																						
31	20	6	2	1	29	7	2	1	0	10	8	3	1	0	12	8	3	1	0	12	2	1	0	0	3	4	1	0	0	5	1	1	1	0	0	10	1	14



06.11.19

S.NO.	UNRESERVED				EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total			
	GE N.	GEN . (F)	WI DO W	DIV ORC EE	EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE		ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE		OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE		MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP			
उदयपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिकितयाँ 157)																																						
32	53	16	5	1	75	11	3	1	0	15	14	4	1	0	19	8	3	1	0	12	21	7	1	0	29	5	2	0	0	7	2	1	1	0	0	3	7	
Total		1281						326						472						388						534						158						319

नोट:- रिक्त पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द-रूपों की वृहद् शब्दावली :-

M - Male (पुरुष)

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न-विवाह महिला)

W - Widow (विधवा),

PD- Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अनध्यता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf and Hard of Hearing (बधिर और जिहें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुच्छ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्बिकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बैद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोगद्वा

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अनध्यता है)

GEN- General (सामान्य)

UR- Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC- Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC- More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS- Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)


OSP- Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ES- Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

Jm
66.11.19-


संलग्नक 2

अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार)																																				
S.NO.	UNRESERVED				EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION						Total
	GEN. (M)	GEN. W O M E N	WI D O R C E E	DIV OR C EE	EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC W O M E N	WI D O R C EE	DIV OR C EE		ST (M)	ST W O M E N	WI D O R C EE	DIV OR C EE		OB C (M)	W O M E N	WI D O R C EE	DIV OR C EE		MBC	MB C (M)	W O M E N	WI D O R C EE	DIV OR C EE	PD	B/L V	D/ HH	LD	A UT	MD	ES
सिरोही न्यायक्षेत्र (केवल आबूरोड ब्लॉक) (कुल रिक्तियाँ 9)																																				
1	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 41)																																				
2	11	4	1	0	16	3	1	0	0	4	2	0	0	0	2	13	4	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 49)																																				
3	18	5	2	1	26	5	1	0	0	6	1	0	0	0	1	9	5	2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
झौगरपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 52)																																				
4	16	5	2	0	23	2	1	0	0	3	2	1	0	0	3	16	5	2	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total		69				14				6	6				62	0				0	0				3	HORIZONTAL RESERVATION										



06.11.19


S.NO.	गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एंव स्थाई लोक अदालतों सहित) में रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार)																																				
	UNRESERVED				EWS				SC				ST				OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION												
	GE N. (F)	GE N. (W)	WI DO EE	DIV ORC	Total Gen	EWS (M)	EWS S(F)	EW OW	WID RCEE	Total EWS	SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE	Total SC	ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE	Total ST	OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total OBC	MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	Total MBC	PD B/L V	D/H H	LD AUT	MD	ES	OSP	Total
अजमेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 13)																																					
1	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
अलवर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 15)																																					
2	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
बालोतरा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																					
3	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बारां न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 11)																																					
4	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
भरतपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 13)																																					
5	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 15)																																					
6	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
बीकानेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 11)																																					
7	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
बूदी न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 10)																																					
8	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F 06.11.19".

S.NO.	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total
	GE N. (F)	GE W. D O W	WI ORC EE	DIV		EWS (M)	EW S(F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE		ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE		OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE		MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	B/L V	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP
चितौड़गढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 14)																																				
9	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
चूरू न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 11)																																				
10	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
दौसा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 10)																																				
11	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
धौलपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																				
12	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 12)																																				
13	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																				
14	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जयपुर जिला न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 12)																																				
15	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
जैसलमेर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 5)																																				
16	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जालोर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 7)																																				
17	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झालावाड़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 11)																																				

S.NO.	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total		
	GE N. (F)	GE N. (W)	WI DO W	DIV ORC EE		EWS (M)	EWS (F)	WID OW	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WID OW	DIVO RCEE		ST (M)	ST (F)	WID OW	DIVO RCEE		OBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE		MBC (M)	WOM EN	WID OW	DIVO RCEE	B/L V	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP		
18	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
झुंझुनू न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 9)																																						
19	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 6)																																						
20	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 10)																																						
21	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
करोली न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 7)																																						
22	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कोटा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 11)																																						
23	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
मेडता न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 15)																																						
24	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
पाली न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 13)																																						
25	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
राजसमंद न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 10)																																						
26	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
सवाईमाधोपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																						
27	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

S.NO.	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total
	GE N. (F)	GE W D O	WI O	DIV E		EWS (M)	EW S(F)	WID O	DIVO RCEE		SC (M)	SC (F)	WID O	DIVO RCEE		ST (M)	ST (F)	WIDO W	DIVO RCEE		OBC (M)	WOM EN	WID O	DIVO RCEE	MBC (M)	WOM EN	WID O	DIVO RCEE	B/L V	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP	
सीकर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 12)																																				
28	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
सिरोही न्यायक्षेत्र (आबूरोड ब्लॉक के अलावा) (कुल रिक्तियाँ 11)																																				
29	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
श्री गंगानगर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 14)																																				
30	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
टोंक न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 9)																																				
31	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उदयपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 16)																																				
32	4	2	0	0	6	1	1	0	0	2	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		149		28		53		30		68		17																		0						



06.11.19

संलग्नक 4

गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण
(जिला-न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार)

S.NO.	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total
	GEN (M)	GE N. WO	WID OW	DIVO RCEE		EWS (M)	EW S(F)	WI DO W	DI VO RC		SC (M)	SC W O	WI DO W	DI OR CEE		ST (M)	ST W O	W ID O	DI OR CEE		OBC (M)	W O ME W	WI DO W	DI VO RC	MBC (M)	WO ME N	WI DO W	DI OR CEE	PD B/LV	D/H H	LD	AUT	MD	ES	OSP	
प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																				
1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 8)																																				
2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
झूंगरपुर न्यायक्षेत्र (कुल रिक्तियाँ 7)																																				
3	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total		12				0				0				0				11				0				0				0						

नोट— रिक्त पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द-रूपों की वृहद् शब्दावली :-

M - Male (पुरुष),

F - Female (महिला),

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न-विवाह महिला),

W - Widow (विधवा),

PD- Persons with Disabilities (दिव्यांगजन), B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता),

D/HH - Deaf and Hard of Hearing (बहिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है),

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्बिकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग),

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बहिर-अन्धता है),

GEN- General (सामान्य), UR- Un-Reserved (अनारक्षित),

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति),

OBC- Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग),

MBC- More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS- Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग),

OSP- Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी), ES- Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

[Signature]
06.11.19 -